(अरुण कुमार त्यागी,न्यायाधीश)

अरुण कुमार त्यागी न्यायाधीश के सम्मुख,

विजय पाल–याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य–प्रतिवादी

सीआरएम–एम नंबर 25761 2015 का

27 मई 2020

(ए) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973–एस.एस.313(आई)(ए) और 482– भारतीय दंड संहिता, 1860–एस.एस.419, 420, 468 अनिल 471 एस.120 बी के साथ पढ़ें–ऋण–सम्मन आदेश–शाखा प्रबंधक को बुलाया गया न्यायालय द्वारा ऋण लेने के समय आरोपियों द्वारा कथित रूप से निष्पादित किए गए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनकी फोटोस्टेट प्रतियां संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क, उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, सोनीपत द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं–रजिस्ट्री क्लर्क, उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, सोनीपत को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है। कथित तौर पर गिरवी विलेखों को उप–रजिस्ट्रार–धारित कार्यालय में आरोपी द्वारा पंजीकृत किया गया था, सीआरपीसी, 1973 की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग निर्णय पारित करने से पहले मामले के किसी भी चरण में किया जा सकता है और इसलिए, चीजों की प्रकृति में यह अभियोजन या अभियुक्त के साक्ष्य को बंद करने के बाद भी प्रयोग किया जाना है–इसलिए, गवाह को बुलाना उचित है।

माना गया कि, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति। निर्णय पारित होने से पहले मामले के किसी भी चरण में प्रयोग किया जा सकता है और इसलिए, अभियोजन या अभियुक्त के साक्ष्य को बंद करने के बाद भी प्रयोग किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 311 के भाग–II के तहत शक्ति के प्रयोग के उद्देश्य से। यह पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा कि क्या अभियोजन या अभियुक्त का साक्ष्य अभियोजन या अभियुक्त द्वारा बंद कर दिया गया था या न्यायालय द्वारा उसके आदेश से बंद कर दिया गया था या न्यायालय द्वारा उसके आदेश से बंद कर दिया गया था और केवल यह तथ्य कि अभियोजन या अभियुक्त का साक्ष्य न्यायालय के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 311 भाग–II के तहत न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेंगे

(पैरा 52)

(बी) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973–एस.294 – कोई औपचारिक सबूत नहीं – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत दस्तावेजों की प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए बाध्य है – स्वीकार या इनकार करने के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा मूल रिकॉर्ड के प्रस्तुत के समय आरोपी को बुलाने का निर्देश दिया गया की धारा 313(i)(ए) के तहत उनके बयान दर्ज करके उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के विशिष्ट संदर्भ के साथ उसकी वास्तविकता

सी.आर.पी.सी., 1973 और अभियुक्तों द्वारा इसकी वास्तविकता से इनकार करने के मामले में, अभियोजन पक्ष एफ.एस.एल. से उनके मानक हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की तुलना करके इसकी वास्तविकता साबित करने का हकदार है।

यह माना गया कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत कर्तव्यबद्ध है और अब तदनुसार पीडब्ल्यूआई एम.के. द्वारा मूल रिकॉर्ड के प्रस्तुत के समय आरोपी को बुलाने का निर्देश दिया जाता है। गोयल को सीआरपीसी की धारा 313(1)(ए) के तहत उनके बयान दर्ज करके उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के विशिष्ट संदर्भ के साथ इसकी वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। और अभियुक्तों द्वारा इसकी वास्तविकता से इनकार करने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष एफ.एस.एल., मधुबन से उनके मानक हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की तुलना करके इसकी वास्तविकता साबित करने का हकदार होगा।

(पैरा 55)

अजय के. दहिया, अधिवक्ता हेमंत बस्सी, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ।

अर्जुन सिंह यादव, ए.ए.जी. उत्तरदाताओं के लिए हरियाणा नंबर 1– राज्य।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए कोई नहीं।

अरुण कुमार त्यागी, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है। 2007 का आपराधिक मामला संख्या 583/1 जिसका शीर्षक राज्य बनाम विजय पाल और अन्य है, जो कि एफआईआर संख्या 184 दिनांक 24.07.2007 से उत्पन्न

हुआ है, जो भारतीय दंड संहिता, 1800 की धारा 120–बी के साथ पठित धारा 419, 420, 468 विज्ञापन 471 के तहत पंजीकृत किया गया (संक्षेप में " एल.पी.सी.') पुलिस स्टेशन सिटी सोनीपत में

(2) याचिका दायर करने को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में बताया गया है कि एम.के. गोयल, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मुख्य शाखा, सोनीपत ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी विजय पाल सिंह, जो उपरोक्त व्यक्ति द्वारा किराए पर लिए गए परिसर का मालिक था, ने कृषि प्रयोजनों के लिए किसान क्रेडिट गोल्ड कार्ड सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त शाखा से संपर्क किया था। बैंक ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें 20.06.2003 को 3,00,000/– रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की। आरोपी विजय पाल सिंह ने ऋण सुविधा जारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड देने के लिए कई बार बैंक से संपर्क किया ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को.

क्रमांक।	व्यक्तियों के नाम और पते	मंजूरी की तारीख	स्वीकृत राशि (रु.)
1.	विक्रम पाल पुत्र वेद पाल, ग्राम खेवड़ा	04.05.2005	3,00,000/–
2.	वेद पाल पुत्र सज्जन पाल, ग्राम खेवड़ा	03.05.2005	3,00,000/–
3.	आनंद पाल पुत्र विजय पाल सिंह, ग्राम खेवड़ा	14.07.2005	3,00,000/–
4.	अमित पाल पुत्र विजय पाल सिंह, ग्राम खेवड़ा	14.07.2005	3,00,000/–
5.	ओम प्रकाश पुत्र कली राम, गांव खेवड़ा	04.01.2006	5,00,000/–
6.	ईश्वर सिंह पुत्र चंदर सिंह, ग्राम खेवड़ा	17.01.2006	5,00,000/–
7.	नरेश कुमार पुत्र मुरारी लाल, ग्राम खेवड़ा	18.01.2006	5,00,000/–
8.	सुनील पुत्र वेदपाल, ग्राम खेवड़ा	18.01.2006	5,00,000/–

9.	जय कवर पुत्र दुली चंद, ग्राम खेवड़ा	01.03.2006	5,00,000/–
10.	सुल्तान पुत्र भगवाना, गांव खेवड़ा	01.03.2006	5,00,000/–
11.	प्रेम पाल पुत्र धारा राम, ग्राम खेवड़ा	07.07.2006	5,00,000/–
12.	प्रकाशवती पत्नी विजय पाल, ग्राम खेवड़ा	19.06.2003	3,00,000/–
13.	रणधीर सिंह पुत्र नंदू, ग्राम खेवड़ा	11.08.2004	3,00,000/–
14.	चन्द्रभान पुत्र भगवाना, ग्राम खेवड़ा	22.08.2003	3,00,000/–
15.	विजय पाल सिंह पुत्र लछमन सिंह, ग्राम खेवड़ा	20.06.2003	3,00,000/–
16.	पिंकी पुत्री विजय पाल सिंह, ग्राम असावरपुर (खेवाड़ा)	13.08.2003	2,00,000/–
17.	कृष्ण पुत्र दुली चंद, गांव खेवड़ा	23.02.2005	2,50,000/–
18.	राज लता पुत्री विजय पाल सिंह आंतिल, ग्राम खेवड़ा	14.08.2003	2,50,000/–

उपरोक्त व्यक्ति या तो आरोपी विजय पाल सिंह के परिवार के सदस्य थे या उसके रिश्तेदार थे। उपरोक्त ऋण राशि उन्हें कृषि भूमि के पंजीकृत गिरवी के विरुद्ध स्वीकृत की गई थी। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा ऋण की अदायगी में चूक करने पर, बैंक अधिकारियों ने उनके गांव का दौरा किया और पता चला कि उपरोक्त व्यक्तियों के नाम पर कोई जमीन नहीं थी और उनके द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी फर्जी थी, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में पुलिस ने मामले की जांच की और 11 लोगों, विजय पाल, ओम प्रकाश, विक्रम पाल, रणधीर, सुल्तान, जय कुवंर, नरेश, कृष्ण, प्रेम पाल, वेद पाल और ईश्वर को दोषी पाया और उनके खिलाफ

आरोप पत्र दायर किया और शेष 7 आरोपियों प्रकाशस्वती, पिंकी, राजलता, आनंदपाल, अमित पाल, सुनील कुमार और चंद्रभान निर्दोष हैं। आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने शेष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, दिनांक 06.03.2014 के आदेश के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को बंद कर दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा सचिन कुमार गोयल और इंद्राज, बैंक प्रबंधकों से पूछताछ करने के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने दिनांक 06.08.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद, मामले को बचाव साक्ष्य के लिए स्थगित कर दिया गया। अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत बचाव साक्ष्य को दर्ज किया गया। आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत बचाव पक्ष के गवाह के रूप में शाखा प्रबंधक इंदराज से पूछताछ करने के लिए आवेदन दायर किया जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने आदेश दिनांक 20.11.2014 द्वारा खारिज कर दिया था।

(3) जबकि मामला बचाव साक्ष्य और तर्कों के लिए लंबित था, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसके बयान की रिकॉर्डिंग के समय एम.के. गोयल, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मुख्य शाखा, सोनीपत ने ऋण लेने के समय 18 आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियां बैंक को सौंपी थीं और वादा किया था कि वह अदालत में मूल रिकॉर्ड उसकी गवाही के समय पेश करेंगे।. शिकायतकर्ता–एम.के. गोयल की गवाही

23 सितंबर को दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने अदालत में मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। जांच अधिकारी सतबीर सिंह (सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर) ने अपनी गवाही के दौरान दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियां दीं, लेकिन अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने मूल दस्तावेज नहीं देखे थे। मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, सोनीपत ने आगे पाया कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता–बैंक के पक्ष में गिरवी विलेख निष्पादित किया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने गिरवी कार्यों को साबित करने के लिए उप–रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय के संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क को गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने 18 आरोपियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल रिकॉर्ड को साबित करने के लिए पी डब्ल्यू–1 एम.के. गोयल की दोबारा जांच और सब–रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय के संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क की जांच को उचित मामला निर्णय के लिए आवश्यक माना। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने तदनुसार पी डब्ल्यू1 एम.के. गोयल, शाखा प्रबंधक को ऋण लेने के समय आरोपी व्यक्तियों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के मूल रिकॉर्ड को साबित करने के लिए पुन: परीक्षण के लिए और संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क उप–रजिस्ट्रार कार्यालय सोनीपत को बुलाने और गिरवी कार्यों के रिकॉर्ड के प्रस्तुत के लिए, जिनकी फोटोस्टेट प्रतियां मार्क–एच, मार्क–एम, मार्क–क्यू, मार्क–वाई, मार्क–ए 3, मार्क–ए–8 मार्क–ए

12, मार्क–ए 15 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई थीं। , मार्क–ए 20, मार्क–ए 25 और मार्क–ए 29 का आदेश दिया।.

(4) याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.07.2015 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि पीडब्लू–1 एम.के. गोयल से व्यापक रूप से पूछताछ की गई और दोबारा जांच की गई लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि अभियोजन पक्ष को मूल दस्तावेजों की आवश्यकता थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दिनांक 06.03.2014 को न्यायालय आदेश द्वारा बंद कर दिये गये। अभियोजन पक्ष द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत मामले में पूछताछ के लिए आवेदन दायर किया गया, बैंक मैनेजर सचिन कुमार गोयल और इंद्राज को तलब करने की याचिका दिनांक 06.08.2014 के आदेश से खारिज कर दी गई। बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बैंक प्रबंधक इंद्राज से पूछताछ के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन दिनांक 20.11.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियोजन साक्ष्य को बंद करने के अपने आदेश और आवेदन को खारिज करने के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने 8 साल के अंतराल के बाद नए गवाह को बुलाया है जब मामला अंतिम बहस के लिए तय हो गया है। याचिकाकर्ता ने 8 साल तक मुकदमे की पीड़ा झेली है। पी डब्लू–1 एम.के. की दोबारा जांच गोयल और रजिस्ट्री क्लर्क को तलब करने से अभियोजन साक्ष्य फिर से खुल जाएगा और याचिकाकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह कमियों को पूरा करने जैसा होगा।

अभियोजन का मामला. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्तियों का अनुचित प्रयोग किया है। और उन 7 आरोपियों से संबंधित दस्तावेज भी गलत तरीके से तलब किए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दायर नहीं किया था। आक्षेपित आदेश भौतिक अवैधता से ग्रस्त है। इसलिए, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादित आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(5) याचिका की सूचना उत्तरदाताओं को दी गई। याचिका का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विरोध किया गया है। हालाँकि, उचित सेवा के बावजूद प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

(6) अपने उत्तर में प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत द्वारा दिनांक 01.07.2015 को पारित आदेश को पारित करने में कोई अवैधता नहीं है और पीडब्लू–1 एम.के.गोयल और सब–रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय के रजिस्ट्री क्लर्क को सही ढंग से बुलाया गया है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करने से पहले विद्वान सत्र न्यायाधीश, सोनीपत के समक्ष आक्षेपित आदेश के खिलाफ कोई पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की, इसलिए याचिका खारिज की जाये।

(7) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान राज्य वकील को सुना है और संबंधित रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि पीडब्लू–1 एम.के. गोयल मूल दस्तावेजों को पेश करने पर अभियोजन पक्ष के किसी भी दबाव के बिना से व्यापक रूप से पूछताछ और जिरह की गई। अभियोजन को अपने संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर दिए गए और ऐसा करने में विफल रहने पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 06.03.2014 के आदेश के तहत अभियोजन के साक्ष्य को बंद कर दिया गया। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन गवाह सचिन कुमार गोयल और इंद्राज को बुलाने के लिए बैंक प्रबंधकों को भी आदेश दिनांक 20.11.2014 द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर आवेदन भी बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बैंक मैनेजर इंद्राज को बुलाने के मामले को खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियोजन साक्ष्य को बंद करने और आवेदन को खारिज करने के अपने आदेशों की समीक्षा नहीं कर सका। अभियोजन पक्ष के गवाहों को बुलाने के लिए और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियोजन के मामले में कमी को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। ट्रायल कोर्ट ने 8 साल के अंतराल के बाद एक नए गवाह को बुलाने का आदेश दिया है जब मामला अंतिम बहस के लिए तय हो गया है। याचिकाकर्ता पहले ही 8 साल तक मुकदमे की पीड़ा झेल चुका है। यदि पीडब्लू–1 एम.के. गोयल को पुन: जांच के लिए वापस बुलाया गया है और संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क को गिरवी कार्यों का रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाया गया है, यह याचिकाकर्ता के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा। । इसलिए, आक्षेपित आदेश प्रक्रिया का दुरुपयोग है प्रक्रिया का दुरुपयोग होने के कारण लागू आदेश को न्याय के लिए रद्द करे ।

अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले **महेंदर लाल दास बनाम बिहार राज्य**[1] और **इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[2] और इस न्यायालय के फैसले **हरि सिंह बनाम हरियाणा**[3] , CRR–2375–2017 का शीर्षक बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य है और उनका फैसला 12.07.2017 को हुआ और सीआरएमएम–30174–2011 दीपिका लाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य का फैसला 22.02.2018 को हुआ की प्रतियां दी I

(9) दूसरी ओर विद्वान राज्य वकील ने तर्क दिया है कि न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पहले से ही जांच किए गए गवाह को वापस बुलाने और गवाह के रूप में उद्धृत नहीं किए गए व्यक्ति को बुलाने की शक्ति है, यदि मामले में उनकी परीक्षा को उचित निर्णय के लिए आवश्यक माना जाता है। ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू–1 एम.के. गोयल की दोबारा जांच पर विचार किया। ऋण लेने के समय अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने और गिरवी विलेखों के मूल रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क को बुलाने को मामले के

उचित निर्णय के लिए आवश्यक बताया। पीडब्लू–1 एम.के. गोयल की पुनः जांच और संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क की जांच मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी कमी को पूरा करने के लिए नहीं मानी जा सकती। विवादित आदेश अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के आदेश की समीक्षा के समान नहीं है और किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। पीडब्लू–1 एम.के. गोयल की पुनः जांच गोयल और संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क की जांच से याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि याचिकाकर्ता उपरोक्त गवाहों से जिरह करने और खंडन में साक्ष्य पेश करने का हकदार होगा। इसलिए याचिका खारिज की जाये.

(10) वर्तमान मामले की शिकायत में नामित 18 व्यक्तियों पर पंजीकृत गिरवी कार्यों सहित ऋण दस्तावेजों के निष्पादन के खिलाफ शिकायतकर्ता बैंक से ऋण लेने का आरोप है। उनके द्वारा ऋण चुकाने में चूक करने पर, बैंक अधिकारियों ने उनके गांव का दौरा किया और पता चला कि उनके नाम पर कोई जमीन नहीं थी और उनके द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी नकली थी। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और 7 लोगों को निर्दोष पाया। अभियोजन पक्ष द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2014 के आदेश द्वारा अभियोजन की साक्ष्य बन्द कर दी गयी। अभियोजन पक्ष

1 2001 (IV) आरसीआर (Crl.) 589
2 एआईआर 1979 एससी 677
3 2002(2) आरसीआर (सीआरएल.) 316

द्वारा ख़ारिज कर दिए गए मामले में पूछताछ के लिए बैंक मैनेजर सचिन कुमार गोयल और इंद्राज को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2014 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया था जबकि मामला बचाव साक्ष्य और दलीलों के लिए लंबित था, अदालत ने दिनांक 01.07.2015 के आदेश के तहत पीडब्लू–1 एम.के.गोयल शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मुख्य शाखा सोनीपत अब मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, प्रधान कार्यालय पटियाला के रूप में नियुक्त को बुलाने का आदेश दिया और मूल रिकॉर्ड को साबित करने के लिए मूल रिकॉर्ड के साथ–साथ उसकी पुन: जांच के लिए उसकी सत्यापित प्रतियों के साथ जो ऋण प्राप्त करने के समय 18 आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क, उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, सोनीपत द्वारा गिरवी रखे गए कार्यों का रिकॉर्ड लाने के लिए जिनकी फोटोस्टेट कॉपी मार्क–एच के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई थी। मार्क–एम, मार्क–क्यू, मार्क–वाई। मार्क–ए 3, मार्क–ए 8, मार्क–ए 12, मार्क–ए 15, मार्क–ए 20, मार्क–ए 25 और मार्क–ए 29 है।

(11) आक्षेपित आदेश की इस आधार पर आलोचना की गई है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद उसे बंद कर दिया है, वह अभियोजन के साक्ष्यों को बंद करने के आदेश दिनांक 06.03.2014 के आदेश और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर अभियोजन के आवेदन को आदेश दिनांक 06.08.2014 को खारिज कर दिया की समीक्षा नहीं कर सका। बैंक प्रबंधकों सचिन कुमार गोयल और इंद्राज को तलब करने के लिए और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति प्रदान करने के लिए मूल दस्तावेजों के गैर–प्रस्तुत के मामले में अदालत द्वारा कमी को पूरा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सका, जिसे पीडब्लू–1 एम.के. गोयल, संबंधित शाखा प्रबंधक और पीडब्लू–9 सतबीर सिंह मामले के जांच अधिकारी की व्यापक परीक्षा और जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जोर नहीं दिया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को पीड़ा पहुंचाने वाले 8 साल के लंबे मुकदमे के बाद अदालत नए गवाह को बुलाकर मुकदमे को दोबारा नहीं खोल सकती, जिसके परिणामस्वरूप संविधान द्वारा गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के उसके मौलिक अधिकार से पूरी तरह इनकार हो जाएगा। उठाई गई आपत्तियों के निर्धारण के लिए, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान, शक्तियों और कर्तव्यों का दायरा और निष्पक्ष सुनवाई के संदर्भ में न्यायालय की भूमिका और अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों द्वारा साक्ष्य की प्रस्तुति, अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य को बंद करने की अनुमति न्यायालय अपने आदेश और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग पर उसके प्रभाव से विचार करना होगा।

(12) **सी.आर.पी.सी. अध्याय XVIII में 'सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई', 'मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट–मामलों की सुनवाई' भाग–ए–पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले' और भाग– में 'सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई' की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।**

अध्याय XIX में पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य मामलों में स्थापित बी–मामले और अध्याय XX में मजिस्ट्रेट द्वारा समन–मामलों की सुनवाई और अध्याय XXI में "सारांश परीक्षण' और उसके संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है, सीआरपीसी की धारा 225–237 सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे की प्रक्रिया निर्धारित करता है, धारा 230 में प्रावधान है कि यदि अभियुक्त दलील देने से इनकार करता है, या दलील नहीं देता है, या मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है या धारा 229 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है, तो न्यायाधीश सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगा। गवाहों की जांच, सीआरपीसी की धारा 231 (1) में प्रावधान है कि निर्धारित तिथि पर, न्यायाधीश अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा। सीआरपीसी की धारा 233 (1) सीआरपीसी प्रावधान करता है कि जहां आरोपी को धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है उसे अपने बचाव में प्रवेश करने और उसके समर्थन में कोई भी सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। सीआरपीसी की धारा 238–243 वारंट के परीक्षण की प्रक्रिया का वर्णन करती है मजिस्ट्रेटों द्वारा मामले। सीआरपीसी की धारा 242 (1) में प्रावधान है कि यदि आरोपी दलील देने से इनकार करता है या दलील नहीं देता है, या मुकदमा चलाने का दावा करता है या मजिस्ट्रेट धारा 241 के तहत आरोपी को दोषी नहीं ठहराता है, तो मजिस्ट्रेट गवाहों की जांच

के लिए एक तारीख तय करेगा। सीआरपीसी की धारा 242 (3) में प्रावधान है कि निर्धारित तिथि पर, मजिस्ट्रेट अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी साक्ष्य लेने के लिए आगे बढ़ेगा। सीआरपीसी की धारा 243 इसमे प्रावधान है कि अभियोजन साक्ष्य को बंद करने और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के बयान को दर्ज करने के बाद, आरोपी को अपने बचाव में प्रवेश करने और अपने साक्ष्य पेश करने के लिए कहा जाएगा। सीआरपीसी की धारा–244–250 मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य मामलों की सुनवाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कानून बनाना। सीआरपीसी की धारा 244 प्रावधान है कि जब, पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य वारंट–मामले में, आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा और अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी साक्ष्य लेगा। सीआरपीसी की धारा 247 यह प्रावधान है कि अभियोजन साक्ष्य को बंद करने और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी के बयान को दर्ज करने के बाद, आरोपी को अपने बचाव में प्रवेश करने और अपने साक्ष्य पेश करने के लिए कहा जाएगा, सीआरपीसी की धारा 251–259 इसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा सम्मन मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया शामिल है, जबकि धारा 260–264 सारांश सुनवाई के लिए कुछ संशोधनों के साथ इसे अपनाती है। सीआरपीसी की धारा 254(1) इसमें सामान्य प्रावधान यह है कि यदि मजिस्ट्रेट धारा 252 या धारा 253 के तहत आरोपी को दोषी नहीं ठहराता है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन की सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा और अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकने वाले सभी साक्ष्य लेगा, और साथ ही अभियुक्त को सुनें और ऐसे सभी साक्ष्य लें जो वह अपने बचाव में प्रस्तुत करता है। इन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को ऐसे सभी साक्ष्य लेने होंगे जो अभियोजन और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

विजय पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 990
(अरुण कुमार त्यागी जे)

(13) इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों में न्यायालय को ऐसे सभी साक्ष्य लेने की आवश्यकता होती है जो अभियोजन या अभियुक्त द्वारा 'प्रस्तुत' किए जा सकते हैं, लेकिन 'प्रस्तुत' शब्द को कोई प्रतिबंधित अर्थ नहीं दिया जा सकता है ताकि अभियोजन को परेशान किया जा सके। या साक्ष्य प्रस्तुत करने की पूरी ज़िम्मेदारी अभियुक्त पर है और 'प्रस्तुत' शब्द का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे में परीक्षण के लिए वांछित गवाहों को सामने लाना या अभियुक्त अपनी ज़िम्मेदारी पर या प्रक्रिया के माध्यम से कोर्ट। **(उड़ीसा राज्य बनाम सिबचरण सिंह [4] और राज्य बनाम नंदकिशोर [5])**

(14) उपर्युक्त अध्यायों में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा न्यायालय को अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के आवेदन पर गवाहों को समन जारी करने की विवेकाधीन शक्ति दी गई है, जिस पर ध्यान भी दिया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 230 बशर्ते कि न्यायाधीश ऐसा कर सके अभियोजन पक्ष के आवेदन पर, किसी गवाह की उपस्थिति या किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ के प्रस्तुत के लिए बाध्य करने के लिए कोई प्रक्रिया जारी करें। सीआरपीसी की धारा 233(3) यह प्रावधान है कि यदि अभियुक्त किसी गवाह की उपस्थिति या किसी

दस्तावेज़ या चीज़ के प्रस्तुत के लिए मजबूर करने के लिए किसी प्रक्रिया के मुद्दे के लिए आवेदन करता है, तो न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा जब तक कि वह दर्ज किए जाने वाले कारणों पर विचार नहीं करता है कि ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इस आधार पर कि यह परेशान करने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सीआरपीसी की धारा 242(2) प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट, अभियोजन पक्ष के आवेदन पर, उसके किसी भी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने का निर्देश देने के लिए एक सम्मन जारी कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 243(2) यह प्रावधान करता है कि यदि अभियुक्त, अपने बचाव में उतरने के बाद, किसी गवाह को परीक्षा या जिरह, या किसी दस्तावेज़ या अन्य चीज़ के प्रस्तुत के लिए उपस्थित होने के लिए मजबूर करने के लिए कोई प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी प्रक्रिया तब तक जारी करेगा जब तक कि वह यह न समझ ले कि इस तरह के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए कि यह परेशान करने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है और ऐसा आधार उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 244(2) प्रावधान करता है कि मजिस्ट्रेट, पर

4 एआईआर 1962 उड़ीसा 157

5 AIR 1967 Rajasthan 228

अभियोजन पक्ष का आवेदन, अपने किसी भी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज़ या अन्य चीज़ पेश करने का निर्देश देने के लिए एक सम्मन जारी करता है। सीआरपीसी की धारा 247 सीआरपीसी की धारा 243 के प्रावधान बनाता है बचाव गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में अभियुक्तों को अदालत की सहायता लेने में सक्षम बनाने के लिए पुलिस रिपोर्ट (ऊपर संदर्भित) के अलावा अन्यथा शुरू किए गए वारंट–मामलों की सुनवाई पर लागू होती है। सीआरपीसी की धारा 254(2) इसमें प्रावधान है कि यदि मजिस्ट्रेट उचित समझे तो अभियोजन या आरोपी के आवेदन पर किसी भी गवाह को उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने के लिए समन जारी कर सकता है। हालाँकि, इन प्रावधानों की विशेषता 'हो सकता है' और न कि 'करेगा' अभिव्यक्ति का उपयोग है, जो इस निष्कर्ष का सूचक है कि न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति या दस्तावेजों या किसी अन्य को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के लिए किसी बाध्यता के तहत नहीं है। चीज़।

(15) इस सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रश्न विचारार्थ उठते हैं:–

(1) यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त अपने गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में न्यायालय की सहायता के लिए आवेदन करता है जिनकी उपस्थिति मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है, तो क्या न्यायालय ऐसी सहायता को अस्वीकार कर सकता है और जोर दे सकता है कि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त को उन्हें पेश करना होगा स्वयं की जिम्मेदारी?

(ii) यदि न्यायालय अभियोजन या बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने के लिए प्रक्रिया जारी करता है, लेकिन संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या राज्य की किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी/कर्मचारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया को निष्पादित करने में विफल रहता है, क्या न्यायालय दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू किए बिना, गैर–अनुपालन के कारणों पर गौर किए बिना, अपेक्षित उपचारात्मक कदम उठाए बिना और अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उचित निष्पादन के लिए ईमानदार प्रयास किए बिना अभियोजन या बचाव साक्ष्य इसके द्वारा जारी प्रक्रिया को बंद कर सकता है?

(iii) यदि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन उन पर विधिवत तामील किए जाते हैं, लेकिन गवाह उन्हें दिए गए समन के अनुपालन में उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्या अभियोजन या अभियुक्त को उनके गैर–उपस्थिति लिए दोषी माना जा सकता है और क्या अदालत अभियोजन या बचाव पक्ष के सबूतों को पेश करने में विफलता के आधार पर अभियोजन या बचाव साक्ष्य को बंद कर सकती है, बिना किसी कानूनी बहाने के अदालत में पेश होने में विफल रहने वाले गवाहों के खिलाफ कार्रवाई किए बिना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना कोर्ट ने मामले में उनकी जांच के लिए दंडात्मक प्रक्रिया जारी की?

(16) वैधानिक प्रावधान जो अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर गवाहों को समन जारी करने के लिए न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करते हैं, इसमें निहित है कि अभियोजन और अभियुक्त को अपने गवाहों को दस्तावेज़ या कोई अन्य चीज़ उनकी परीक्षा या प्रस्तुत के लिए समन जारी करने के लिए आवेदन करने का अधिकार है। । चूंकि सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत रिपोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित आवेदन, मौखिक प्रार्थना या अनुरोध दाखिल करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। या आरोप तय करने के समय और अभियुक्त द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करने के समय या उसके द्वारा दायर किसी भी लिखित बयान को गवाहों को समन जारी करने के लिए एक आवेदन के रूप में भी माना जा सकता है।

(17) गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को बहुत व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं। प्रथम दृष्टया न्यायालय को गवाहों को समन जारी करने का अधिकार है। सीआरपीसी के अध्याय VI का भाग–ए, जो 'उपस्थिति के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया' से संबंधित है, समन की सेवा के प्रावधानों को शामिल करता है

और उसके संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 61 यह प्रावधान करता है कि किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में, दो प्रतियों में, ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसे उच्च न्यायालय समय–समय पर नियम द्वारा निर्देशित करेगा, और वहन करेगा न्यायालय की मुहर. सीआरपीसी की धारा 62(1) प्रावधान है कि प्रत्येक समन की तामील एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या ऐसे नियमों के अधीन होगी जो राज्य सरकार इस संबंध में बना सकती है, इसे जारी करने वाले न्यायालय के एक अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा। सीआरपीसी की धारा 62(2) यह प्रावधान करता है कि यदि संभव हो तो समन की तामील व्यक्तिगत रूप से बुलाए गए व्यक्ति को समन की एक प्रति देकर या उसे देकर की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 62(3) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन भेजा गया है, यदि सेवारत अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो अन्य डुप्लिकेट के पीछे रसीद पर हस्ताक्षर करेगा। सीआरपीसी की धारा 63 कॉर्पोरेट निकायों और सोसायटियों पर सम्मन की सेवा प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 64 जहां प्रावधान है कि बुलाया गया व्यक्ति उचित परिश्रम के बाद भी नहीं मिल पाता है, तो समन की एक प्रति उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को दी जा सकती है, और जिस व्यक्ति के पास समन छोड़ा गया है, यदि सेवारत अधिकारी द्वारा ऐसा आवश्यक हो तो वह पीछे की ओर एक डुप्लिकेट रसीद पर हस्ताक्षर करेगा। दूसरे सीआरपीसी की धारा 65 यह प्रावधान करता है कि यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सेवा उचित परिश्रम से प्रभावी नहीं हो पाती है, तो सेवारत अधिकारी सम्मन की एक प्रति को उस निवास स्थान के कुछ विशिष्ट हिस्से पर चिपका देगा जिसमें व्यक्ति रहता है। सम्मन सामान्यतः रहता है; और उसके बाद न्यायालय, उसके बाद

ऐसी पूछताछ करना जो वह उचित समझे, या तो घोषित कर सकता है कि सम्मन विधिवत तामील हो गया है या ऐसे तरीके से नई तामील का आदेश दे सकता है जैसे वह उचित समझे। सीआरपीसी की धारा 66 यह प्रावधान करता है कि जहां बुलाया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय इसे सामान्यतः उस कार्यालय के प्रमुख को दो प्रतियों में भेजेगा जिसमें ऐसा व्यक्ति कार्यरत है; और ऐसा प्रमुख धारा 62 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से समन की तामील कराएगा, और उस धारा द्वारा अपेक्षित समर्थन के साथ इसे अपने हस्ताक्षर के तहत न्यायालय को वापस कर देगा। सीआरपीसी की धारा 69(1) न्यायालय को पंजीकृत डाक से गवाहों को समन भेजने में सक्षम बनाता है, यह प्रावधान करके कि किसी गवाह को समन जारी करने वाला न्यायालय नए समन जारी करने के साथ–साथ गवाह को संबोधित पंजीकृत डाक से समन की एक प्रति देने का निर्देश भी दे सकता है। उस स्थान पर जहां वह सामान्य रूप से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है। सीआरपीसी की धारा 69(2) यह प्रावधान करता है कि जहां गवाह द्वारा हस्ताक्षरित होने वाली पावती या डाक कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला समर्थन, कि गवाह ने समन की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया

है, प्राप्त हो गया है, समन जारी करने वाली अदालत यह घोषित कर सकती है कि समन की विधिवत तामील कर दी गई है। यह प्रावधान न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 62 के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा गवाहों को समन जारी नहीं करने पर पंजीकृत डाक से समन जारी करने और भेजने की उपचारात्मक शक्ति बार–बार देता है।

(18) सी.आर.पी.सी. के अध्याय VII का भाग–ए, जो संबंधित है '**चीजों के प्रस्तुत को बाध्य करने की प्रक्रिया**', प्रस्तुत के लिए सम्मन जारी करने का प्रावधान करती है। सीआरपीसी की धारा 91 (1) अदालत को दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए समन जारी करने का अधिकार देती है, यह प्रावधान करते हुए कि जब भी कोई अदालत यह समझती है कि किसी भी जांच के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज या अन्य चीज का प्रस्तुत आवश्यक या वांछनीय है, सीआरपीसी के तहत पूछताछ, मुकदमा या अन्य कार्यवाही। ऐसे न्यायालय द्वारा या उसके समक्ष, ऐसा न्यायालय उस व्यक्ति को एक समन जारी कर सकता है जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा माना जाता है कि ऐसा दस्तावेज़ या चीज़ है, जिससे उसे उपस्थित होने और इसे पेश करने, या इसे बताए गए समय और स्थान पर पेश करने की आवश्यकता हो सकती है। सम्मन

(19) यदि गवाहों को समन विधिवत तामील करा दिया गया है और वे अपनी जांच या किसी अन्य चीज के दस्तावेज पेश करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है। सीआरपीसी की धारा 87 (बी) अदालत को ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अधिकृत करती है, बशर्ते कि अदालत किसी भी मामले में, जिसमें उसे सीआरपीसी द्वारा अधिकार प्राप्त हो। किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जारी करना।

इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद, यदि वह ऐसे समय में उपस्थित होने में विफल रहता है तो उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि समन को उसके अनुसार उपस्थित होने के लिए समय पर तामील कर दिया गया है और ऐसी विफलता के लिए कोई उचित बहाना नहीं दिया गया है। सीआरपीसी के अध्याय VI का भाग–बी। इसमें वारंट के निष्पादन के प्रावधान शामिल हैं और संबंधित प्रावधानों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 70(1) प्रावधान है कि इस संहिता के तहत किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होगा, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुहर होगी। सीआरपीसी की धारा 70(2) प्रावधान है कि ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, या जब तक इसे निष्पादित नहीं किया जाता। सीआरपीसी की धारा 71(1) यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई भी न्यायालय अपने विवेक से वारंट पर समर्थन देकर निर्देशित कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति एक निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त जमानत के साथ एक बांड

निष्पादित करता है और उसके बाद जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, तो जिस अधिकारी को वारंट निर्देशित किया जाता है वह ऐसी सुरक्षा लेगा और ऐसे व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर देगा। सीआरपीसी की धारा 72(1) प्रावधान है कि गिरफ्तारी का वारंट आम तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा लेकिन ऐसा वारंट जारी करने वाला न्यायालय, यदि इसका तत्काल निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो इसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति इसे निष्पादित करेंगे। सीआरपीसी की धारा 75 से 81 इसमें गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया शामिल है।

(20) आईपीसी की धारा 174, जो सम्मन के अनुपालन में ऐसी गैर–उपस्थिति को दंडात्मक परिणामों के साथ पेश करती है, प्रावधान करती है कि जो कोई भी, सम्मन के अनुपालन में एक निश्चित स्थान और समय पर व्यक्तिगत रूप से या किसी एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, नोटिस , आदेश या उद्घोषणा किसी ऐसे लोक सेवक की ओर से जारी की जाती है जो कानूनी रूप से सक्षम है, ऐसे लोक सेवक के रूप में, उसे जारी करने के लिए, जानबूझकर उस स्थान या समय पर उपस्थित होने से चूक जाता है, या उस स्थान से उस समय से पहले चला जाता है जहां वह उपस्थित होने के लिए बाध्य है। उसके जाने के लिए वैध होने पर, एक महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या पांच सौ रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा यदि सम्मन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा में उपस्थित होना है व्यक्तिगत रूप से या एजेंट द्वारा किसी न्यायालय में साधारण कारावास से जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से,जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एल.पी.सी. की धारा 175. इसे प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में चूक को दंडित करता है। आईपीसी की धारा 175 प्रावधान करता है कि जो कोई भी, कानूनी रूप से भुगतान का प्रस्तुत करने या वितरित करने के लिए बाध्य है/

995 विजय पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(अरुण कुमार त्यागी, जे.)

किसी भी लोक सेवक को दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रदान करने में चूक करने पर साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक महीने तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है दोनों। यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी न्यायालय में प्रस्तुत या वितरित किया जाना है, तो छह महीने तक की साधारण कारावास या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 174 और 175 के तहत दंडनीय अपराध गैर–संज्ञेय, जमानती और गैर–शमनीय हैं। यह अपराध आईपीसी की धारा 174 के तहत दंडनीय है। किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है जबकि अपराध आईपीसी की धारा 175 के तहत दंडनीय है। उस न्यायालय द्वारा

विचारणीय है जिसमें अपराध अध्याय XXVI के प्रावधानों के अधीन किया गया है या यदि किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 195 (1) (ए) अदालत को आईपीसी की धारा 174 और 175 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने से रोकता है या ऐसे अपराध के लिए उकसाने या ऐसा करने का प्रयास करने या ऐसे अपराध करने के लिए किसी आपराधिक साजिश के अलावा संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक की लिखित शिकायत पर जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है। सीआरपीसी की धारा 195 (1) (ए) के मद्देनजर। शिकायत को संबंधित न्यायालय द्वारा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक है।

(21) चूंकि ऐसी शिकायत दर्ज करना बोझिल हो सकता है, सीआरपीसी की धारा 349 उत्तर देने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले व्यक्ति पर संक्षेप में मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए संबंधित न्यायालय को वैकल्पिक शक्ति प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 349 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई गवाह या व्यक्ति किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए बुलाया जाता है, तो वह उससे पूछे गए सवालों का जवाब देने या उसके कब्जे या शक्ति में कोई दस्तावेज या चीज पेश करने से इनकार कर देता है, जिसे अदालत उससे पेश करने की अपेक्षा करती है ऐसा करने के लिए उसे उचित अवसर दिए जाने के बाद, इस तरह के इनकार के लिए कोई उचित बहाना पेश नहीं किया जा सकता है, ऐसी अदालत लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उसे साधारण कारावास की सजा दे सकती है या पीठासीन मजिस्ट्रेट के अधीन वारंट द्वारा सजा दे सकती है या न्यायाधीश उसे सात दिनों से अधिक की अवधि के लिए न्यायालय के किसी अधिकारी की हिरासत में सौंपता है जब तक कि इस बीच ऐसा व्यक्ति जांच करने और जवाब देने या दस्तावेज़ या चीज़ का प्रस्तुत करने और उसके बने रहने की स्थिति में सहमति न दे दे। उसके इनकार करने पर, उस पर धारा 345 या धारा 346 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 350। सम्मन के अनुपालन में किसी गवाह द्वारा उपस्थित न होने पर संक्षेप में प्रयास करने और दंडित करने के लिए संबंधित न्यायालय को वैकल्पिक शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि यदि कोई गवाह हो

किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया व्यक्ति सम्मन का पालन करते हुए एक निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है और बिना किसी बहाने के उस स्थान या समय पर उपस्थित होने की उपेक्षा करता है या इनकार कर देता है या उस स्थान से प्रस्थान कर जाता है जहां उसे समय से पहले उपस्थित होना होता है। जिस पर उसके लिए प्रस्थान करना वैध है, और जिस न्यायालय के समक्ष गवाह को उपस्थित होना है, वह संतुष्ट है कि यह न्याय के हित में समीचीन है कि ऐसे गवाह पर संक्षेप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, न्यायालय अपराध का संज्ञान ले सकता है और उसके बाद अपराधी को यह कारण

बताने का अवसर देते हुए कि उसे इस धारा के तहत दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए, उसे अधिकतम एक सौ रुपये के जुर्माने से दंडित करें।

(22) आईपीसी की धारा 174 और 175 के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए या सीआरपीसी की धारा 349 और 350 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्रावधानों के तहत कर्तव्य का निर्वहन न करना अपराध है इसे कर्तव्य का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है।

(23) सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या राज्य की किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी का अधिकारी/कर्मचारी अभियोजन या बचाव पक्ष के गवाहों पर न्यायालय द्वारा जारी समन की तामील करने और जमानती या गैर निष्पादित करने के लिए उसमें निहित कानून के निर्देशों के तहत कर्तव्यबद्ध है। सीआरपीसी के प्रावधानों, आईपीसी की धारा 166 के अनुसार गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी के जमानती वारंट जारी किए गए। किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से किसी लोक सेवक द्वारा कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने पर यह प्रावधान करके दंडित किया जाता है कि जो कोई एक लोक सेवक होने के नाते, जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है, जिस तरह से उसे आचरण करना है। लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा रखता है या यह जानता है कि वह ऐसी अवज्ञा से चोट पहुंचाएगा उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। चित्रण आईपीसी की धारा 166 से जुड़ा हुआ है। यह कहते हुए प्रावधान का उदाहरण देता है कि यदि ए एक अधिकारी है जिसे कानून द्वारा निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए निर्देशित किया जाता है, तो न्याय की अदालत द्वारा जेड के पक्ष में सुनाई गई डिक्री को संतुष्ट करने के लिए, जानबूझकर कानून के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, यह जानते हुए कि वह संभावित है जिससे जेड को चोट पहुंचे। ए ने आईपीसी की धारा 166 के तहत अपराध किया है। संबंधित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या राज्य की किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई भी गैर–अनुपालन धारा 166 के तहत दंडनीय होगा। की आई.पी.सी. यह अपराध आईपीसी की धारा 166 के तहत दंडनीय है। गैर–संज्ञेय, जमानती, गैर–शमनयोग्य और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

997 **विजय पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**
(अरुण कुमार त्यागी, जे.)

इसलिए, दाखिल करना सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष संबंधित न्यायालय द्वारा शिकायत की आवश्यकता होगी। चूंकि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समन की तामील और वारंट के निष्पादन के संबंध में कानून के निर्देशों का अनुपालन न करने को कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है, इसलिए दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। ऐसा अपराधी/अधिकारी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा

उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा और संबंधित न्यायालय सक्षम प्राधिकारियों को दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दे सकता है।

(24) चूँकि धारा 340 सी.आर.पी.सी. केवल ओपीसी की धारा 195(1)(बी) में निर्दिष्ट अपराधों पर लागू होता है। सी.आर.पी.सी की धारा 193 से 196 (दोनों सम्मिलित), 199, 200, 205 से 211 (दोनों सम्मिलित) और 228, 463, 471, 475 और 476 के तहत दंडनीय अपराध या ऐसे अपराधों को करने या करने का प्रयास करने या उकसाने की कोई आपराधिक साजिश जो उस अदालत में किसी कार्यवाही के संबंध में या जैसा भी मामला हो प्रस्तुत या दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया प्रतीत होता है। उस न्यायालय में कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में न्यायालय को सी.आर.पी.सी. की धारा 340 के तहत कोई प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। सी.आर.पी.सी की धारा 166, 174 या 175 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज करने से पहले धारा 200 प्रथम प्रावधान के अनुसार ऐसी शिकायत दर्ज करते समय संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जांच किए बिना समन जारी करना होगा। समन के अनुपालन में अभियुक्त के उपस्थित न होने की स्थिति में सी.आर.पी.सी की धारा 87 के तहत उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया जा सकता है। और वेतन सहित उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और सीआरपीसी की धारा 83 के प्रावधान के अनुसार उसकी संपत्ति बेची जा सकती है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 174–ए के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी और वह इस तरह की फरारी के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(25) ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि अदालत को दस्तावेजों या किसी अन्य चीज की जांच या प्रस्तुत के लिए अभियोजन या बचाव गवाहों की उपस्थिति को मजबूर करने और उचित सेवा के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों या राज्य की किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों/पदाधिकारियों द्वारा अभियोजन या बचाव गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसके द्वारा जारी किए गए सम्मन या गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन।

(26) वर्तमान समय में यहां देखा जा सकता है कि

गवाहों की समस्याएँ, विशेष रूप से आधिकारिक पुलिस गवाह जो अदालत में उपस्थित होते हैं और पुलिस अधिकारी सम्मन न देकर न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, वारंट पेश करने के लिए वारंट निष्पादित नहीं करते हैं, आदि जो न्यायिक प्रणाली को इस हद तक प्रभावित करते हैं कि बड़ी संख्या में मामले बिना सुनवाई के ही पड़े रहते हैं। हमारी निचली अदालतों में गवाहों के संशोधन के संबंध में अनिश्चितता के कारण बड़ी संख्या में

मामलों में साक्ष्य तय करने की आम प्रथा है, जिसके परिणामस्वरूप यदि गवाह ऐसे सभी मामलों में सामने आते हैं तो अदालत के लिए साक्ष्य दर्ज करना असंभव हो जाएगा। उन सभी की और पर्याप्त संख्या में, यदि बहुमत नहीं है, तो दोबारा जांच की जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में मामलों को फिक्स करने से न केवल अदालती प्रक्रिया को जारी करने और निष्पादित करने से संबंधित सभी लोगों पर काम का बोझ बढ़ जाता है, बल्कि उन गवाहों को अनावश्यक और टालने योग्य उत्पीड़न भी होता है, जो बिना जांच किए वापस लौट जाते हैं। इससे न केवल अदालत के सुचारू कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि गवाहों के सामने नहीं आने पर अदालत को काम के दबाव से राहत महसूस होती है। न्यायाधीश को यह जांचने का समय नहीं मिलता है कि क्या गिरफ्तारी के समन/वारंट संबंधित न्यायालय के अधिकारी द्वारा समय पर जारी किए गए थे और संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा तामील किए गए थे और जहां गिरफ्तारी के समन/वारंट वापस नहीं मिलते हैं या बिना तामील किए प्राप्त होते हैं इसके क्या कारण हैं? वही और क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसका अवांछनीय प्रभाव यह भी होता है कि न्यायालय गवाहों की गैर–उपस्थिति और अदालती प्रक्रिया के गैर–निष्पादन के प्रति उदासीन हो जाता है और जबरन अनुचित कार्य करने के दुष्चक्र में शामिल हो जाता है, जिसे आमतौर पर एक समय में तीन अदालतें चलाने के रूप में जाना जाता है। कभी–कभी अदालत उस मुकदमे में मूक दर्शक बन जाती है, जहां महत्वपूर्ण गवाह, डॉक्टर और जांच अधिकारी उन कारणों से पेश नहीं होते हैं, जिनके बारे में वे ही जानते हैं। अदालत मामले को लटकाते हुए तारीख पर तारीख देती रहती है और खुद को असहाय समझती है और बाद में गवाहों के पेश न होने या अदालती प्रक्रिया पूरी न होने से निराश होकर अभियोजन या आरोपी की गवाही को आधार बनाकर बंद कर देती है। मामला काफी पुराना है सबूतों के अभाव में अभियुक्तों को बरी करना या अभियुक्तों के महत्वपूर्ण बचाव साक्ष्यों को बाहर करना। अभियुक्तों के अपराध या बेगुनाही के प्रश्न के निर्णय द्वारा न्यायालय की अंतरात्मा को न्याय प्रदान किए बिना कार्यवाही की समाप्ति मात्र है। योग्यता के आधार पर न्यायालय असहाय नहीं है और स्वयं को अड़ियल गवाहों या पुलिस अधिकारियों की दया के अधीन मानकर अपने कार्य से विरत नहीं हो सकता। विधायिका ने पहले ही उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को अधिनियमित करके न्यायालय को मजबूर करने की शक्तियाँ प्रदान करके उपचारात्मक उपाय कर लिए हैं।

गवाह का विरोध और बलपूर्वक प्रक्रिया का निष्पादन अब यह न्यायालयों पर है कि वे प्रदत्त शक्तियों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करें। उपर्युक्त वैधानिक प्रभाव को व्यापक रूप से लागू करना ही समस्याओं का एकमात्र समाधान है। समान कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि समाधान का पता लगाया जा सके जैसा कि **यूपी राज्य** बनाम **शंभू नाथ सिंह**[6] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा गया है, उत्पीड़न के डर के कारण न्यायालयों में उपस्थित नहीं होते हैं। गैर–जमानाती मामलों में कोर्ट से बाहर आरोपियों द्वारा काम के घंटों की हानि, डराना–धमकाना या अवैध रूप से छेड़छाड़ आदि के कारण अपना कीमती समय बर्बाद किया है। यह समय की मांग है कि कोर्ट अपनाए। अदालत और

मामले के प्रबंधन में सुनवाई की तारीख के लिए वाइनेस के व्यक्तित्व को सत्यापित करने की विधि शामिल है और यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक अभियोजक के कुछ नोडल अधिकारी के माध्यम से उनके साथ आगे की तारीखें देकर उन तक पहुंच प्राप्त करना शामिल है। सी.आर.पी.सी. की धारा 294 के तहत अभियोजन या अभियुक्त को बुलाना। शपथ पत्र की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए सीआरपीसी की धारा 296 के तहत औपचारिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के मामले में गवाहों को बुलाने की आवश्यकता को अस्वीकार करना। हुंदेइन पर मामला हो सकता है। अभियुक्तों द्वारा हिरासत में लिए जाने के मामले में गवाहों की सुरक्षा के लिए सीज़र्ट बस कदम उठाएगी, उन्हें अदालत में उपस्थित होने में हर घंटे के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी और अवैध संतुष्टि के लिए गवाहों के वार्मिंग के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। न्यायालय को आरोप तय करते समय आपराधिक मामलों में सभी तारीखों की समय–सारणी पर उसी तरह गौर करना चाहिए, जैसा **रामरामेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी**[7] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत सिविल मुकदमों के लिए किया जाना है उदारता देने से बचें। सिजेसरमेंट्स, सेशन ट्रायल की आयु विधि और तारीखों का ब्लॉक दें । **थाना सिंह** बनाम **सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटीज** [8] में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गवाही दें और लगातार तारीखों में गवाहों की जांच करें और उनके क्रॉस एस्मिटेशन को लंबी अवधि के लिए स्थगित न करें। **विनोद कुमार बनाम पंजाब** [9] के सुसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित। कम समय की एफआईआर सेवा के साथ कोर्ट प्रक्रिया जारी करना और कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कम समय के साथ उसकी सेवा/निष्पादन भी प्रक्रिया की वापसी के कारणों में से एक है

6 2001(2) आरसीआर (सीआरएल) 390

7 (एससी) 2011(3) आर.सी.आर.(सिविल) 932

8 (2013) 2 एससीसी 590

9 (एससी)2015(1) आर.सी.आर.(सीआरएल.) 647

बिना सेवा और गवाहों की गैर–उपस्थिति के मामले को समय पर जारी करने और उसकी सेवा/निष्पादन के लिए उचित निर्देश जारी करके ध्यान देने की आवश्यकता है। ये उदाहरणात्मक हैं न कि संपूर्ण उपाय जिन्हें न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता है।

(27) जो प्रश्न उठते हैं वे हैं कि क्या न्यायालय उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी कर्तव्य के अधीन है; क्या न्यायालय ऐसे सभी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाध्य है जो अभियोजन या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं और क्या न्यायालय अभियुक्त को त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार से वंचित होने से रोकने के लिए अभियोजन के साक्ष्य को बंद कर सकता है।

(28) **मेनका गांधी बनाम भारत संघ** [10] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को उचित, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित न करने का कानून द्वारा निर्धारित मौलिक अधिकार प्रदान करता है। **हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना** [11] मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को **"उचित निष्पक्ष या उचित"** नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह प्रक्रिया सुनिश्चित न हो। ऐसे व्यक्ति के अपराध के निर्धारण के लिए त्वरित सुनवाई और त्वरित सुनवाई जिसका अर्थ है उचित त्वरित सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है। **अब्दुल रहमान अंतुले और अन्य बनाम में आरएस नायक** [12] और अन्य 2, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि सभी चरणों में त्वरित सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार का हिस्सा है, यह देखा कि यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो कार्यवाही को रद्द करने के बजाय, एक उच्च न्यायालय एक निश्चित समय में कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दे सकता है।

(29) यदि त्वरित सुनवाई अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार है, तो अभियुक्त के हाथों अपराध की पीड़िता को भी न्याय तक पहुंच का मौलिक अधिकार है। **इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** [13] और अन्य मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की न्याय तक पहुंच संविधान के तहत एक गारंटीशुदा मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से इनकार करने से न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो जाता है और प्रोत्साहन मिलता है। लोग शॉर्ट–कट और अन्य मंचों की तलाश करें जहां उन्हें लगे कि न्याय जल्दी मिलेगा

10 एआईआर 1978 एससी 597

11 (1979) 3 एससीआर 169

12 1992(2) आर.सी.आर.(सीआरएल.) 634

13 2012(2) आरसीआर (सीआरएल.) 1

लंबे समय में, यह न्याय वितरण प्रणाली को भी कमजोर करता है और कानून के शासन के लिए खतरा पैदा करता है।

(30) **गुजरात राज्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय** [14]" में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध का शिकार कोई भुला दिया गया व्यक्ति नहीं हो सकता। यह वह है जिसने सबसे अधिक पीड़ा झेली है। यदि अपराध के शिकार व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है न्याय खोखला लगेगा ।

(31) **जहीरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य** [15] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

> "34. इस न्यायालय ने अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि किसी आपराधिक मामले में कार्यवाही का भाग्य हमेशा पार्टियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है, अपराध सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन और उल्लंघन है, जो पूरे समुदाय को प्रभावित करता है एक समुदाय और सामान्य रूप से समाज के लिए हानिकारक हैं। निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा में आरोपी, पीड़ित और समाज के हितों का परिचित त्रिकोण शामिल है और यह वह समुदाय है जो राज्य और अभियोजन एजेंसियों के माध्यम से कार्य करता है। समाज के हित नहीं हैं पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण और अवांछित व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाएगा। न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखना हमेशा अदालतों का एक प्रमुख कर्तव्य माना गया है – जिसे अक्सर '**कानून की महिमा**' को साबित करने और बनाए रखने के कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। न्याय के समुचित प्रशासन को हमेशा एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जो किसी विशेष मामले के निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, भविष्य में कानून के न्यायालय के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता की रक्षा करता है जैसा कि इसके पहले मामले में था। यदि किसी आपराधिक न्यायालय को न्याय प्रदान करने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश को मुकदमे में भागीदार बनकर एक दर्शक और मात्र रिकॉर्डिंग मशीन बनना बंद कर देना चाहिए, जिससे बुद्धिमत्ता, सक्रिय रुचि प्रदर्शित हो और सही तक पहुंचने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक सामग्री प्राप्त हो सके। निष्कर्ष, सत्य का पता लगाना और प्रशासन करना निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णायक के रूप में न्यायाधीशों का उचित नाम और प्रतिष्ठा।

ए. कानून के शासन और उचित प्रक्रिया के सिद्धांत मानवाधिकार संरक्षण से निकटता से जुड़े हुए हैं। ऐसे अधिकारों को प्रभावी ढंग से तब संरक्षित किया जा सकता है जब कोई नागरिक अदालतों का सहारा लेता है। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि एक परीक्षण जिसका मुख्य उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना है, सभी संबंधितों के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा की कोई विश्लेषणात्मक, सर्वव्यापक या संपूर्ण परिभाषा नहीं हो सकती है, और इसे अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक स्थितियों की अनंत विविधता में निर्धारित करना पड़ सकता है। क्या कुछ ऐसा किया गया या कहा गया जो पहले या परीक्षण के दौरान निष्पक्षता की गुणवत्ता को उस हद तक वंचित कर देता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो गया है। यह कहना सही नहीं होगा कि केवल

आरोपियों के साथ ही उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। यह बड़े पैमाने पर समाज और पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की जरूरतों पर नेल्सन की नजर डालने जैसा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में निष्पक्षता से निपटने का अंतर्निहित अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई से इनकार करना जितना आरोपी के साथ अन्याय है, उतना ही पीड़ित और समाज के साथ भी। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष न्यायाधीश, एक निष्पक्ष अभियोजक और न्यायिक शांति के माहौल के समक्ष सुनवाई होगी। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब एक ऐसी सुनवाई है जिसमें अभियुक्तों, गवाहों या जिस कारण पर मुकदमा चलाया जा रहा है उसके लिए या उसके खिलाफ पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह समाप्त हो जाता है। यदि गवाहों को धमकाया जाता है या झूठे साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया जाता है तो इससे भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। महत्वपूर्ण गवाहों को सुनने में विफलता निश्चित रूप से निष्पक्ष सुनवाई से इनकार है।

(बी) एक आपराधिक मुकदमा मामले में मुद्दों की न्यायिक जांच है और इसका उद्देश्य किसी तथ्य या प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर किसी मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचना है, जिससे तथ्यात्मक मुद्दे की खोज हो सके और ऐसे तथ्यों का प्रमाण प्राप्त हो सके। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त अपनी दलीलों पर पहुंचे हैं; नियंत्रित करने वाला प्रश्न अभियुक्त का अपराध या निर्दोषता है। चूँकि उद्देश्य न्याय प्रदान करना और दोषियों को दोषी ठहराना और निर्दोषों की रक्षा करना है, इसलिए मुकदमा सत्य की खोज होना चाहिए, न कि तकनीकीताओं से जूझना, और ऐसे नियमों के तहत चलाया जाना चाहिए जो निर्दोषों की रक्षा करेंगे और अपराधी को दंडित करेंगे। आरोप का सबूत उचित संदेह से परे होना चाहिए

मौखिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की समग्रता के न्यायिक मूल्यांकन पर निर्भर रहें, न कि पृथक जांच पर।''

(32) **हिमांशु सिंह सभरवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य** [16] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:–

> "3. न्यायिक प्रणाली की शुरुआत से ही यह स्वीकार किया गया है कि खोज, पुष्टि और सत्य की स्थापना न्याय न्यायालयों के अस्तित्व के अंतर्निहित मुख्य उद्देश्य हैं। निष्पक्ष सुनवाई के लिए ऑपरेटिव सिद्धांत नागरिक और आपराधिक दोनों संदर्भ में सामान्य कानून में व्याप्त हैं।। इन सिद्धांतों के अनुप्रयोग में एक आपराधिक मुकदमे में प्रतिस्पर्धी हितों का एक नाजुक न्यायिक संतुलन शामिल है। अभियुक्त और जनता के हितों और काफी हद तक पीड़ित के हितों को इसमें शामिल सार्वजनिक हित की अनदेखी न करते हुए तौला जाना चाहिए। अपराध करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना।"

(33) वर्तमान में आरोपियों पर शिकायतकर्ता बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसका अब राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय हो गया है और उधार दी गई राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, इसका बोझ करदाताओं पर डाला जाएगा। इसलिए, त्वरित सुनवाई के आरोपी के मौलिक अधिकार के अलावा, शिकायतकर्ता के न्याय तक पहुंच के प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकार और यहां तक कि बड़े पैमाने पर जनता/समाज के सामाजिक और आर्थिक हित भी शामिल हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायालय को आरोपी, पीड़ित और बड़े पैमाने पर जनता/समाज के प्रतिस्पर्धी हितों का एक नाजुक संतुलन बनाना होगा।

(34) **मैसूर राज्य बनाम एन.जी. में मैसूर उच्च न्यायालय की नरसिम्हेगौड़ा**[17] डिवीजन बेंच ने सजा के सबूतों को बंद करने और आरोपियों को बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रक्रिया जारी करने के न्यायालय के कर्तव्य पर जोर दिया और कहा कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक बार समन जारी करना, यह कर्तव्य था। मजिस्ट्रेट को समन की गैर–सेवा या गैर–वापसी के कारण की जांच करनी होगी और गवाहों की प्रवृत्ति को सुरक्षित करने के लिए मामले की परिस्थितियों में आवश्यक ईपीएस को अपने कब्जे में लेना होगा, खासकर जब मेरे सामने दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि अभियोग एजेंसी की ओर से कोई लापरवाही हुई है।

16 (एससी) 2008(2) आर.सी.आर. (क्रि.) 267

17 1965 (2) सीआरआई एलआई 48

(35) **काशी नाथ पंडित बनाम ओंकार नाथ** [18] में, गवाह डॉ. मकबूल, जिनके खिलाफ पिछली तारीख पर गैर–उपस्थिति के परिणामस्वरूप गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, ने अपने खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग की और खुद को पेश करने का वचन दिया। लेकिन सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित नहीं हुए, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया। माननीय जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य को बंद करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यदि गवाह बाद में सुनवाई की अगली तारीख पर नहीं आता है तो यह अभियोजन की गलती नहीं है। न्यायालय पर यह दायित्व डाला गया था कि वह उसकी उपस्थिति को लागू करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और इस उद्देश्य के लिए सभी संभावित बलपूर्वक तरीकों का उपयोग करे। आख़िर अभियोजन पक्ष की अदालत के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है? इसका उद्देश्य गवाहों का विवरण प्रस्तुत करना और उनकी पेशी के लिए सहायता मांगना है, जब तक कि अभियोजन पक्ष अपनी जिम्मेदारी पर गवाहों को पेश करने का दायित्व नहीं लेता। अभियोजन पक्ष की गलती के बिना गवाहों द्वारा की गई चूक के लिए अभियोजन पक्ष पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है और वास्तव में उस स्कोर पर नुकसान उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय का परम कर्तव्य बन जाता है कि वह गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के

लिए अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करे। यदि गवाहों द्वारा जानबूझकर की गई चूक के कारण मामले खारिज कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां अदालत के साथ–साथ पक्ष भी गवाहों की पूर्ण दया पर निर्भर होगा।

यह निस्संदेह न्याय के मूल उद्देश्य को पराजित कर देगा। हालाँकि जहाँ निश्चित रूप से उसके द्वारा की गई चूक के लिए दोष अभियोजन पक्ष पर है न्यायालय का उसके मामले को ख़त्म करना उचित होगा।

(36) **गुजरात राज्य बनाम नागिन अमारा वसावा (गुजरात)**[19] के मामले में, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि समन के अनुपालन में गवाह के उपस्थित न होने पर न्यायिक अधिकारी को खुद को असहाय महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे यह देखना होगा कि जबरदस्ती अड़ियल शिकायतकर्ता या ऐसे गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो मामले का प्रभारी न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल होगा। न्याय प्रदान करना हमेशा विवेक का मामला है और किसी मामले को ख़त्म कर देने भर से इसका कोई मतलब नहीं है। एक ट्रायल मजिस्ट्रेट को वास्तव में ऐसे अड़ियल शिकायतकर्ता और ऐसे गवाहों से आहत महसूस करना चाहिए यदि वे न्याय के उद्देश्य में मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं और उसे यह देखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि कोई मामला केवल इसलिए विफल न हो जाए आपराधिक कानून स्थापित कर दिया है

18 1975 करोड़. लॉ जर्नल 1090

19 1982 सीआरआई एलजे 1880

गति बाद में अपना मन बदल लेती है और अपनी अनुपस्थिति के कारण इससे दूर जाने का प्रयास करती है।

(37) **नाथीबाई बनाम भूरा**[20] में, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह गवाहों की उपस्थिति के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया जारी करे और तदनुसार अभियोजन की विफलता के आधार पर अभियुक्तों को बरी कर दे। सबूत पेश करने के लिए **वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश** [21] राज्य मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि गवाह समन की तामील के बाद भी उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ उत्पीड़नात्मक तरीका अपनाया जाना चाहिए और उसके साक्ष्य के अभाव में मामले को बंद नहीं किया जा सकता है। **मप्र राज्य बनाम बंडू**[22], माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के किसी भी प्रयास के बिना साक्ष्य को बंद करना न्याय का गर्भपात है,

(38) **हरचंद सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले**[23] में, इस न्यायालय की माननीय एकल पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्ती प्रक्रिया जारी किए बिना अभियोजन साक्ष्य को बंद करना उचित नहीं था। इसी तरह का दृष्टिकोण भी लिया गया था इस न्यायालय की माननीय एकल पीठ ने **बलजिंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आपराधिक संशोधन संख्या 1391 ऑफ़ 2012 (ओ एंड एम) में फैसला 10.05.2012 को सुनाया।**

(39) यहां यह देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता, पुलिस अधिकारी, अभियोजक और अभियुक्त के पास सीआरपीसी के तहत कोई शक्ति/अधिकार नहीं है। या अपने मामले के समर्थन में परीक्षण के लिए किसी गवाह को पकड़ने और उसे गवाह बॉक्स में खींचने या उन दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए कोई अन्य अधिनियम जिस पर वे भरोसा करते हैं और अदालत में पेश होने के लिए गवाहों की इच्छा पर पूरी तरह से निर्भर हैं। या न्यायालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की सहायता यहां तक कि जहां जांच किया जाने वाला गवाह एक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या सरकारी सेवक या राज्य की किसी एजेंसी या साधन का कर्मचारी है वहां प्रशासनिक वरिष्ठ के पास सीआरपीसी के तहत कोई शक्ति/अधिकार नहीं है या किसी अन्य अधिनियम के तहत उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए मजबूर करने के लिए कोई भी दंडात्मक प्रक्रिया जारी करने या कोई भी कठोर कार्रवाई करने के लिए और अधिक से अधिक न्यायालय में उसकी गैर–उपस्थिति के लिए उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है जिसमें पर्याप्त लंबा समय लग सकता है और तत्काल न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति का प्रभाव नहीं भी हो सकता है।

20 1991 एम.पी.एल.जे. 952

21 1994 (द्वितीय) एमपीडब्ल्यूएन 251

22 1995 (द्वितीय) एमपीडब्ल्यूएन 78

23 2011(2) आरसीआर (सीआरएल.) 693

इसलिए, शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष या आरोपी पर अपनी जिम्मेदारी पर अपने गवाहों को पेश करने की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है और अदालत गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में अपनी सहायता से इनकार नहीं कर सकती है। आपराधिक न्याय प्रशासन में न्यायालय पर सभी वैध तरीकों से सत्य तक पहुँचने का कर्तव्य भी डाला गया है। यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त अपनी लापरवाही से या अन्यथा गवाहों को पेश करने में अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो अदालत उन सभी गवाहों को बुलाने और उनसे पूछताछ करने की अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती, जिनके साक्ष्य उसे उचित निर्णय के लिए आवश्यक मामला

प्रतीत होते हैं। न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा कि सभी महत्वपूर्ण गवाह जिनकी परीक्षा मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है उसके सामने लाए जाएं और सत्य की खोज करके आरोपी के अपराध या निर्दोषता का प्रश्न गुण–दोष के आधार पर तय किया जाए। यदि अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना ट्रायल कोर्ट के वैधानिक कर्तव्य के तहत है तो न्यायालय वास्तविक और ईमानदार प्रयास किए बिना अभियोजन या अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के आधार पर अभियोजन या बचाव साक्ष्य को बंद नहीं कर सकता है। अभियोजन या बचाव पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करें जिनका साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी अभियोजन साक्ष्य को बंद किया जा सकता है, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से घोर उपेक्षा जानबूझकर देरी या लापरवाही/कदाचार के कारण अदालती प्रक्रिया को निराशाजनक बनाया जा रहा है, जिससे लंबे समय तक सुनवाई का मतलब होगा कि अभियुक्त को त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, बचाव साक्ष्य को बंद किया जा सकता है जहां मुकदमे को लम्बा खींचने में जानबूझकर देरी की जाती है और बचाव गवाहों को बुलाने के लिए अदालत की सहायता को केवल तभी अस्वीकार किया जा सकता है जहां ऐसी सहायता के लिए आवेदन परेशान करने या देरी करने या पराजित करने के उद्देश्य से न्याय का अंत किया गया हो।

(40) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में इस प्रकार दिए जा सकते हैं: –

(i) यदि अभियोजन पक्ष या अभियुक्त अभियोजन या बचाव गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में अदालत की सहायता के लिए आवेदन करता है, तो अदालत आम तौर पर ऐसी सहायता से इनकार नहीं कर सकती है और इस बात पर जोर दे सकती है कि अभियोजन या अभियुक्त को अपनी ज़िम्मेदारी पर सबूत पेश करना होगा। हालाँकि बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने के लिए न्यायालय की सहायता को अस्वीकार किया जा सकता है, जहाँ ऐसी सहायता के लिए आवेदन परेशान करने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से किया गया है।

(ii) यदि कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या किसी का कोई अधिकारी/कर्मचारी

राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियां गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया को निष्पादित करने में विफल रहती हैं, न्यायालय अपने आदेश का अपेक्षित अनुपालन सुनिश्चित करने और उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। इसके द्वारा जारी की गई प्रक्रिया और न्यायालय दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू किए बिना,

गैर–अनुपालन के कारणों की तलाश करने, अपेक्षित उपचारात्मक कदम उठाने और अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार प्रयास द्वारा जारी प्रक्रिया का समुचित निष्पादन किए बिना अभियोजन या बचाव साक्ष्य को बंद नहीं कर सकता है।

(iii) यदि अदालत आवेदन की अनुमति देती है और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया जारी करती है, लेकिन गवाह कोई भी वैध बहाना और उन्हें दी गई प्रक्रिया के अनुपालन में उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो अदालत अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने वाले गवाहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।

मामले में उनकी परीक्षा के लिए ज़बरदस्त प्रक्रिया जारी करके अदालत में उनकी उपस्थिति को सुरक्षित करना और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पेश करने में अभियोजन या बचाव की विफलता के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता है। जहां घोर उपेक्षा हो वहां अदालत अभियोजन साक्ष्य को बंद कर सकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से जानबूझकर देरी या लापरवाही/कदाचार से अदालती प्रक्रिया बाधित होती है जिससे सुनवाई लंबे समय तक चलने से आरोपी को त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार से पूरी तरह वंचित कर दिया जाएगा। जहां मुकदमे को लम्बा खींचने के लिए जानबूझकर देरी की जाती है। वहां अदालत बचाव साक्ष्य को बंद कर सकती है और बचाव गवाहों को बुलाने के लिए अदालत की सहायता को अस्वीकार कर सकती है, जहां ऐसी सहायता के लिए आवेदन परेशान करने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया जाता है।

(41) वर्तमान मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ने दिनांक 06.03.2014 के आदेश के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियोजन द्वारा दायर आवेदन द्वारा बैंक मैनेजर सचिन कुमार गोयल और इंद्राज को तलब करने के लिए दिनांक 06.08.2014 के आदेश खारिज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक और ईमानदार प्रयास किए बिना मामले को लटकाए रखने के कारण अभियोजन साक्ष्य को बंद कर दिया, जिनके साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक थे। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ कोई पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की।

इस स्तर पर इस न्यायालय के लिए वर्तमान मामले में प्रश्न पर विचार करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे अन्य अभियुक्तों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो वर्तमान याचिका में पक्षकार नहीं हैं और उन्हें खुद को दिनांकित आदेश को चुनौती देने तक ही सीमित रखना होगा। 01.07.2015 को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत द्वारा पारित किया गया। सवाल यह

उठता है कि क्या सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से उपरोक्त आदेशों की समीक्षा करना उचित नहीं है और क्या न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित है

(42) सी.आर.पी.सी. की धारा 311. न्यायालय को महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने का अधिकार देता है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

> "कोई भी अदालत, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है, या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकती है, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया है, या पहले से ही किसी व्यक्ति को वापस बुला सकती है और दोबारा जांच कर सकती है। जांच की गई; और अदालत ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगी और जांच करेगी या वापस बुलाएगी और दोबारा जांच करेगी यदि उसका साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।"

(43) **गोदरेज पैसिफिक टेक, लिड बनाम कंप्यूटर ज्वाइंट इंडिया लैट**[24] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 311 के प्रावधानों का विश्लेषण किया। निम्नानुसार:–

> "7. अनुभाग स्पष्ट रूप से दो भागों में है। जबकि पहले भाग में प्रयुक्त शब्द **"हो सकता है"** है, दूसरे भाग में **"करेगा"** का उपयोग किया गया है। परिणामस्वरूप, पहला भाग एक आपराधिक अदालत को पूरी तरह से विवेकाधीन अधिकार देता है और इसे सक्षम बनाता है। संहिता के तहत किसी जांच, सुनवाई या कार्यवाही के किसी भी चरण में (ए) किसी को गवाह के रूप में बुलाना, या (बी) अदालत में मौजूद किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करना, या (ई) किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाना और दोबारा जांच करना जिसके साक्ष्य पहले ही दर्ज किया जा चुका है। दूसरी ओर, दूसरा भाग अनिवार्य है और अदालत को उपरोक्त कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर करता है यदि नए साक्ष्य मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं। यह एक पूरक प्रावधान है जो सक्षम बनाता है, और कुछ परिस्थितियाँ अदालत पर एक ऐसे महत्वपूर्ण गवाह की जाँच करने का कर्तव्य थोपती हैं जिसे अन्यथा उसके सामने नहीं लाया जाता। इसे व्यापक संभव शर्तों और आह्वानों में शामिल किया गया है

24 2008 (4) एससीसी162 (एससी)

बिना किसी सीमा के, या तो उस चरण के संबंध में जिस पर न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या उस तरीके के संबंध में जिसमें इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह न केवल विशेषाधिकार है, बल्कि अदालत का स्पष्ट कर्तव्य भी है कि वह उन गवाहों की जांच करे, जिन्हें वह राज्य और विषय के बीच न्याय करने के लिए बिल्कुल आवश्यक मानता है। सभी कानूनी तरीकों से सच्चाई तक पहुंचने के लिए अदालत का कर्तव्य है और ऐसे तरीकों में से एक है अपनी मर्जी से गवाहों की जांच करना, जब कुछ स्पष्ट कारणों से कोई भी पक्ष उन गवाहों को बुलाने के लिए तैयार नहीं होता है जो इसमें शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रासंगिक तथ्य बोलने की स्थिति।

8. संहिता की धारा 311 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने में किसी भी पक्ष की गलती या दोनों ओर से जांचे गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने के कारण न्याय में विफलता नहीं हो सकती है। निर्धारक कारक यह है कि क्या यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। यह धारा केवल अभियुक्तों के लाभ तक ही सीमित नहीं है, और इस धारा के तहत किसी गवाह को केवल इसलिए बुलाना अदालत की शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य अभियोजन पक्ष के न कि अभियुक्त के मामले का समर्थन करते हैं,।. यह धारा एक सामान्य धारा है जो संहिता के तहत सभी कार्यवाहियों, पूछताछ और परीक्षणों पर लागू होती है और मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्यवाही, परीक्षण या पूछताछ के किसी भी चरण में किसी भी गवाह को समन जारी करने का अधिकार देती है।

धारा 311 में जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होती है वह है "इस संहिता के तहत किसी भी जांच या परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में"। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जबकि धारा गवाहों को बुलाने पर अदालत को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है, प्रदत्त विवेक का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति जितनी व्यापक होगी न्यायिक दिमाग के प्रयोग की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी ।"

(44) **मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में**[25], माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसी शक्ति का उपयोग अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ी गई कमी भरने के लिए नहीं करेगा। .

(45) हालाँकि, **राजेंद्र प्रसाद बनाम द नारकोटिक सेल में**

25 1991(3) आरसीआर (सीआरएल.) 182

अपने प्रभारी अधिकारी, दिल्ली[26] के माध्यम से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया कि अभियोजन में कमी को अभियोजन मामले के मैट्रिक्स में अंतर्निहित कमजोरी या एक अव्यक्त समस्या के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका लाभ आम तौर पर मामले की सुनवाई में आरोपी को मिलना चाहिए, लेकिन अभियोजन के प्रबंधन में लापरवाही को अपूरणीय कमी नहीं माना जा सकता है। किसी मुकदमे में किसी भी पक्ष को त्रुटियों को सुधारने से रोका नहीं जा सकता। यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी प्रासंगिक सामग्री को किसी भी असावधानी के कारण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, तो अदालत को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

> 7. आपराधिक अदालतों में यह एक आम अनुभव है कि जब भी अदालतें संहिता की धारा 311 या साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत शक्तियों का प्रयोग करती हैं तो बचाव पक्ष के वकील यह कहकर आपत्ति जताते हैं कि अदालत अभियोजन मामले में कमी को पूरा नहीं कर सकती है।' अभियोजन में किसी कमी को मुकदमे के दौरान, प्रासंगिक सामग्री तैयार करने में या गवाहों से प्रासंगिक उत्तर प्राप्त करने में, सरकारी वकील द्वारा की गई लापरवाही के परिणाम के बराबर नहीं माना जा सकता है। ' इंसान गलती का पुतला है' वाली कहावत गलतियाँ करने की संभावना की पहचान है जिसके लिए इंसान साबित होता है। किसी मामले के संचालन के दौरान ऐसी किसी भी रुकावट या गलती के परिणाम को उस कमी के रूप में नहीं समझा जा सकता है जिसे अदालत पूरा नहीं कर सकती है।
>
> 8. अभियोजन में कमी को अभियोजन मामले के मैट्रिक्स में अंतर्निहित कमजोरी या एक अव्यक्त समस्या के रूप में समझा जाना चाहिए। इसका लाभ आम तौर पर मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को मिलना चाहिए, लेकिन अभियोजन के प्रबंधन में अनदेखी को अपूरणीय कमी नहीं माना जा सकता। परीक्षण में कोई भी पैरी त्रुटियों को सुधारने से पहले बंद नहीं हो सकती। यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी असावधानी के कारण प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, तो अदालत को ऐसी गलतियों को सुधारने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए। आख़िरकार, आपराधिक न्यायालय का कार्य आपराधिक न्याय का प्रशासन करना है, न कि पार्टियों द्वारा की गई त्रुटियों को गिनना या यह पता लगाना और घोषित करना कि पार्टियों में से किसने बेहतर प्रदर्शन किया।

26 1999(3) आरसीआर (सीआरएल.) 440

9. वही फैसला मोहनलाल शामीजी सोनी बनाम यूनियनभारत सरकार, (सुप्रा) जिसने खामियों को भरने के प्रति आगाह किया है, ने भी इस प्रकार अनुपात निर्धारित किया है:

"इसलिए यह स्पष्ट है कि आपराधिक न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने या ऐसे किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से जांच करने की पर्याप्त शक्ति है, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हो गए हों और न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से तात्कालिकता से तय होना चाहिए। स्थिति, निष्पक्ष खेल और अच्छी समझ ही एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक प्रतीत होते हैं और केवल न्याय की आवश्यकताएं ही किसी भी व्यक्ति की जांच का आदेश देती हैं जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

(46) **ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य** [27]में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"27.....संहिता के प्रावधानों के तहत न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह अभियोजन या बचाव पक्ष को अपने पक्ष के किसी विशेष गवाह या गवाहों से पूछताछ करने के लिए बाध्य कर सके। इसे पार्टियों पर छोड़ देना चाहिए. लेकिन साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दे सकता है कि सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य नहीं दिया गया है, और प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है। न्यायालय को अक्सर पार्टियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर, या साक्ष्य में प्राप्त तथ्यों से अनिर्णायक निष्कर्ष पर निर्भर रहना होगा। ऐसे मामलों में न्यायालय को धारा के दूसरे भाग के तहत कार्रवाई करनी होती है। कभी–कभी न्यायालय के निर्देशानुसार गवाहों की जांच का परिणाम "खामियों को भरना" माना जा सकता है। यह पूरी तरह से एक सहायक कारक है और इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। नया साक्ष्य आवश्यक है या नहीं, यह निश्चित रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए, और इसका निर्धारण पीठासीन न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए।"

(47) **राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले**[28] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णयों का उल्लेख किया और अपने निर्णय के पैरा संख्या 23 में कुछ सिद्धांतों को हटा दिया, जिन्हें धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। सी.आर.पी.सी. जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:–

"23. धारा के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, उपरोक्त निर्णयों पर एक परिप्रेक्ष्य विचार से

27 (एससी)2006(2s) आर.सी.आर.(सीआरएल.) 448
28 2013(3) आर.सी.आर. (सीआरएल) 726

311 आपराधिक प्रक्रिया संहिता को साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के साथ पढ़ा जाए, हमें लगता है कि न्यायालयों को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा

क) क्या न्यायालय का यह सोचना सही है कि उसे अब साक्ष्य की आवश्यकता है? क्या किसी मामले के उचित निर्णय के लिए न्यायालय को धारा 311 के तहत मांगे गए साक्ष्य की आवश्यकता है?

बी) धारा 311 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत व्यापक विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्णय तथ्यों की अव्यवस्थित, अनिर्णायक अटकलबाजी प्रस्तुति पर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

ग) यदि किसी गवाह का साक्ष्य न्यायालय को मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, तो न्यायालय को ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाने और जांच करने या वापस बुलाने और फिर से जांच करने की शक्ति है।

घ) धारा 311 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग केवल सच्चाई का पता लगाने या ऐसे तथ्यों के लिए उचित सबूत प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, जिससे मामले का उचित और सही निर्णय हो सके।

ई) उक्त शक्ति के प्रयोग को अभियोजन मामले में कमी को पूरा करने के रूप में करार नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट न हो जाए कि न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग से अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो गया।

च) व्यापक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए न कि मनमाने ढंग से।

छ) न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि मामले के उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए ऐसे गवाह की जांच करना या उसे आगे की परीक्षा के लिए वापस बुलाना हर तरह से आवश्यक है।

ज) धारा 311 आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य एक साथ सत्य का निर्धारण करने और उचित निर्णय देने के लिए न्यायालय पर कर्तव्य लगाता है।

i) न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है, इसलिए नहीं कि ऐसा करना असंभव होगा

इसके बिना निर्णय सुनाएं, लेकिन क्योंकि ऐसे सबूतों पर विचार किए बिना न्याय की विफलता होगी।

जे) विवेक का प्रयोग करते समय स्थिति की तात्कालिकता, निष्पक्ष खेल और अच्छी समझ सुरक्षा गार्ड होनी चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुकदमे में किसी भी पक्ष को त्रुटियों को सुधारने से रोका नहीं जा सकता है और यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या किसी भी असावधानी के कारण प्रासंगिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है, तो न्यायालय को ऐसी गलतियों की अनुमति देने में उदार होना चाहिए सुधारा जाए.

ट) न्यायालय को इस स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए कि आखिरकार मुकदमा मूल रूप से कैदियों के लिए है और न्यायालय को यथासंभव निष्पक्ष तरीके से उन्हें अवसर देना चाहिए। तर्क की उस समानता में, अभियुक्त की कीमत पर संभावित पूर्वाग्रह के खिलाफ अभियोजन की रक्षा करने के बजाय अभियुक्त को अवसर मिलने के पक्ष में गलती करना सुरक्षित होगा। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी विवेकाधीन शक्ति का अनुचित या मनमौजी प्रयोग अवांछनीय परिणाम दे सकता है।

1) अतिरिक्त साक्ष्य किसी भी पक्ष के विरुद्ध छद्म रूप में या मामले की प्रकृति को बदलने के लिए प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।

एम) शक्ति का प्रयोग यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, वह शामिल मुद्दे के लिए प्रासंगिक होगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि दूसरे पक्ष को खंडन का अवसर दिया जाए।

n) इसलिए, धारा 311 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का उपयोग न्यायालय द्वारा केवल मजबूत और वैध कारणों से न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष सुनवाई में आरोपी, पीड़ित और समाज का हित शामिल है और इसलिए, संबंधित व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान करना एक संवैधानिक लक्ष्य होने के साथ-साथ एक मानवीय लक्ष्य भी होना चाहिए। सही।"

(48) **मन्नान एस.के. और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में**[29] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि

29 2014(4) आर.सी.आर.(सी.आर.एल.) 617

अभियोजन पक्ष की निगरानी के कारण न्याय को पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जाए और उस मामले में गवाह को 22 साल बाद जांच के लिए बुलाया गया था और उसकी परीक्षा भी कमी को पूरा करने के लिए नहीं की गई थी।

(49) वर्तमान मामले में यह मामले के जांच अधिकारी सतबीर सिंह का कर्तव्य था कि वह जांच के दौरान मूल दस्तावेज प्राप्त करें। हालाँकि, मामले के जांच अधिकारी सतबीर सिंह द्वारा एम.के. गोयल से गिरवी विलेख सहित दस्तावेजों की केवल फोटोस्टेट प्रतियां प्राप्त की गईं।, संबंधित शाखा प्रबंधक को वचन दिया कि मूल दस्तावेज न्यायालय में उसकी जांच के समय प्रस्तुत किये जायेंगे। एम.के. गोयल द्वारा दिए गए वचन के बावजूद मामले के जांच अधिकारी सतबीर सिंह को संबंधित शाखा प्रबंधक ने बताया कि पेश किए गए मूल दस्तावेज एम.के. गोयल द्वारा पेश नहीं किए गए। मामले में परीक्षण के समय संबंधित शाखा प्रबंधक गोयल का संभवत स्थानांतरण हो गया था। गिरवी कार्यों की फोटोस्टेट प्रतियों को प्रदर्शन के रूप में साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया गया था और उन्हें केवल मार्क–एच, मार्क–एम, मार्क–क्यू, मार्क–वाई, मार्क–ए 3, मार्क–ए 8, मार्क–ए 12, मार्क– के रूप में चिह्नित किया गया था। ए 15, मार्क–ए 20, मार्क–ए 25 और मार्क–ए 29। अभियोजक का यह कर्तव्य था कि वह पीडब्लू–1 एम.के. गोयल की जांच के समय मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर जोर दे। संबंधित शाखा प्रबंधक और पीडब्लू–9 सतबीर सिंह, मामले के जांच अधिकारी थे, लेकिन सरकारी वकील ऐसा करने में विफल रहे। चूंकि आरोपी द्वारा कथित तौर पर निष्पादित गिरवी विलेख उप रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय में पंजीकृत थे, इसलिए उप रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय से संबंधित अधिकारी द्वारा संबंधित रिकॉर्ड का प्रस्तुत भी आवश्यक था और इस उद्देश्य के लिए जांच अधिकारी मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में उसे अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में उद्धृत करना आवश्यक था। हालाँकि, मामले के जांच अधिकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में अपना नाम उल्लेख करने में विफल रहे और अभियोजक ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया या इसे नजरअंदाज कर दिया और चूक को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

(50) **धनराज सिंह @ शेरा और अन्य, बनाम राज्य पंजाब** [30] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

> "5. दोषपूर्ण जांच के मामले में न्यायालय सबूतों के मूल्यांकन में सतर्क रहा है। लेकिन किसी आरोपी व्यक्ति को केवल दोष स्वीकार करने पर बरी करना सही नहीं
>
> होगा। ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जांच दोषपूर्ण रूप से की गयी हो।

30(JT 2004(3) SC 380)

(करनेल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1995(3) आरसीआर(आपराधिक) 526: (1995(5) एससीसी 518) देखें।

6. पारस यादव एवं अन्य में। बनाम बिहार राज्य, 1999(1) आरसीआर(आपराधिक) 627: (1999(2) एससीसी 126) यह माना गया कि यदि जांच एजेंसी द्वारा चूक हुई है या लापरवाही के कारण अभियोजन साक्ष्य की आवश्यकता है यह पता लगाने के लिए कि उक्त साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, ऐसी चूकों की जांच की गई। अधिकारियों का दूषित आचरण अदालतों द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन के रास्ते में नहीं आना चाहिए अन्यथा डिज़ाइन की गई शरारत कायम रहेगी और शिकायतकर्ता पक्ष को न्याय नहीं मिल पाएगा।

7. जैसा कि **राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य और अन्य, 1998(2) आरसीआर (आपराधिक) 403: (1998(4) एससीसी 517)** में देखा गया था, यदि इस तरह की डिज़ाइन की गई या लापरवाही से की गई जांच को प्राथमिकता दी जाती है और चूक को छोड़ दिया जाए या अनुचित जांच या चूक से लोगों का विश्वास न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी ही नहीं बल्कि न्याय प्रशासन में भी हिल जाएगा। **अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य, 2003(1) आरसीआर (आपराधिक) 701: (2003(2) एससीसी 518)" में इस दृश्य को फिर से दोहराया गया।**

(51) **हिमांशु सिंह सभरवाल बनाम राज्य एम.पी.**[31] में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

–

"16. अदालतों को मुकदमे में सहभागी भूमिका निभानी होगी। गवाहों द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए उनसे टेप रिकॉर्डर होने की उम्मीद नहीं की जाती है। संहिता की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 विशाल और व्यापक शक्तियां प्रदान करती हैं न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को s साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाकर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए कहा गया है। उन्हें न्याय की सहायता के लिए कार्यवाही की इस तरह से निगरानी करनी होगी कि कुछ, जो प्रासंगिक नहीं है, अनावश्यक रूप से रिकॉर्ड में न लाया जाए। यदि अभियोजक कुछ मायनों में लापरवाह है, तो वह कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है ताकि अंतिम उद्देश्य यानी सत्य तक पहुंचा जा सके। यह और अधिक आवश्यक हो जाता है जहां न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अभियोजन एजेंसी या अभियोजक अपेक्षित तरीके से कार्य नहीं कर रहा है । कोर्ट

31 (एससी) 2008(2) आर.सी.आर.(सीआरएल.) 267

अभियोजन एजेंसी की ओर से इस तरह के गंभीर नुकसान या कर्तव्य की उपेक्षा के प्रति इच्छापूर्वक या आनंदपूर्वक अनभिज्ञ होने या अनजान होने का दिखावा करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। अभियोजक जो निष्पक्षता से कार्य नहीं करता है और बचाव के लिए एक वकील की तरह कार्य करता है, वह निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के लिए एक दायित्व है, और अदालतें ऐसी अभियोजन एजेंसी के हाथों में नहीं खेल सकती हैं जो उदासीनता दिखाती है या पूरी तरह से अलगाव का रवैया अपनाती है।"

(52) न्यायालय जांच अधिकारी या लोक अभियोजक के हाथों में नहीं खेल सकता। पीडब्लू–1 एम.के. गोयल को वापस बुलाना शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, मुख्य शाखा सोनीपत को अब मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, प्रधान कार्यालय पटियाला के रूप में नियुक्त किया गया है, दस्तावेजों के मूल रिकॉर्ड को साबित करने के लिए उनकी पुन: जांच के लिए मूल रिकॉर्ड के साथ–साथ सत्यापित प्रतियों के साथ। ऋण लेने के समय 18 आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया और गिरवी कार्यों के रिकॉर्ड के प्रस्तुत के लिए उप–रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय के संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क को बुलाया गया, जिसकी फोटोस्टेट कॉपी को मार्क–एच के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया था। मार्क–एम. मार्क–क्यू. मार्क–वाई, मार्क–ए 3, मार्क–ए 12, मार्क–ए 15, मार्क–ए 20, मार्क–ए 25 और मार्क–ए 29 मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि यह कमी को पूरा करने जैसा है। सीआरपीसी की धारा 311 के भाग– II के तहत, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का वैधानिक कर्तव्य है कि यदि गवाहों के साक्ष्य उन्हें मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक लगते हैं, तो उन्हें समन करना और उनकी जांच करना या वापस बुलाना और फिर से जांच करना है। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति। निर्णय पारित होने से पहले मामले के किसी भी चरण में प्रयोग किया जा सकता है और इसलिए है। अभियोजन या अभियुक्त के साक्ष्य को बंद करने के बाद भी प्रयोग की जाने वाली चीजों की प्रकृति में। सीआरपीसी की धारा 311 के भाग–II के तहत शक्ति के प्रयोग के उद्देश्य से यह पूरी तरह से अप्रासंगिक होगा कि क्या अभियोजन या अभियुक्त का साक्ष्य अभियोजन या अभियुक्त द्वारा बंद कर दिया गया था या न्यायालय द्वारा उसके आदेश से बंद कर दिया गया था और केवल यह तथ्य कि अभियोजन या अभियुक्त का साक्ष्य न्यायालय के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 311 भाग–II के तहत न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकना। इस कानूनी परिप्रेक्ष्य में, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 को अभियोजन साक्ष्य और आदेश दिनांक को बंद करने वाले आदेश दिनांक 06.03.2014 की समीक्षा के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन को 06.08.2014 को खारिज कर दिया गया। बैंक मैनेजर सचिन कुमार गोयल और इंद्राज को तलब करने के लिए और उस आधार पर खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

1017 विजय पाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(अरुण कुमार त्यागी, जे.)

न्यायिक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 311 भाग– II के तहत वैधानिक दायित्व के तहत है। एम.के. गोयल को तलब करने का सही आदेश दिया है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से बैंक प्रबंधक और उप–रजिस्ट्रार, सोनीपत के

कार्यालय के रजिस्ट्री क्लर्क को संबंधित किया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश भी इस आधार पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि इसे 8 साल से अधिक समय तक आरोपी को पीड़ा देने वाले लंबे मुकदमे के बाद अभियोजन साक्ष्य को फिर से खोलने के मामले के विलंबित चरण में पारित किया गया है। अभियुक्तों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा क्योंकि पीडब्ल्यू–1 एम.के.गोयल को अदालत ने उन मूल दस्तावेजों को पेश करने के लिए बुलाया है जो कथित तौर पर अभियुक्तों द्वारा ऋण लेने के समय निष्पादित किए गए थे जिनकी फोटोकॉपी प्रतियां पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं और संबंधित रजिस्ट्री क्लर्क, उप–रजिस्ट्रार कार्यालय, सोनीपत को गिरवी कार्यों के रिकॉर्ड पेश करने के लिए बुलाया गया है, जो कथित तौर पर आरोपी द्वारा उप–रजिस्ट्रार, सोनीपत के कार्यालय में पंजीकृत किए गए थे और उनकी जांच से कोई नया मामला नहीं बनता है। इसके अलावा, आरोपी गवाहों से जिरह कर सकता है और खंडन में बचाव साक्ष्य पेश कर सकता है।

(53) **महेंद्र लाल दास बनाम बिहार राज्य में**[32], माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) और 5(1)(ई) के तहत एफआईआर को अधिकार से वंचित करने के आधार पर रद्द कर दिया। मंजूरी देने का मामला 13 वर्ष से अधिक समय से सरकार के पास लंबित होने के कारण त्वरित सुनवाई। मो. **इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** [33], माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 161 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(डी) के साथ पठित धारा 5(2) में आयुक्त के नोट को प्रस्तुत न करने के कारण अभियोजन की मंजूरी देने को अमान्य बताया गया है जबकि यह माना गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर छोड़ी गई कमी को पूरा करने के लिए नए सबूत पेश नहीं किए जा सकते हैं। हालाँकि, उपरोक्त दोनों मामलों में सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति की प्रकृति, दायरे और सीमा के संबंध में कोई प्रश्न शामिल नहीं था और उसमें दी गई टिप्पणियाँ जिनका कोई संदर्भ नहीं था, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती हैं। **हरि सिंह बनाम हरियाणा राज्य** [34] में सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर आवेदन पर अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जांच की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया। तीसरे व्यक्ति द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद इस न्यायालय द्वारा तीसरे व्यक्ति के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होने और आदेश समापन की समीक्षा के आधार पर खारिज कर दिया गया था

32 2001(4) आरसीआर (सीआरएल.) 589

33 एआईआर 1979 एससी 677
34 2002(2) आरसीआर (सीआरएल.) 316

अभियोजन साक्ष्य और कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं है। **सीआरआर–2375–2017 में, जिसका शीर्षक बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य है फैसला 12.07.2017** को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन को खारिज करने के आदेश को इस आधार पर बरकरार रखा गया था कि अभियोजन साक्ष्य को अनुदान के

बाद न्यायालय द्वारा सही ढंग से बंद कर दिया गया था। 32 प्रभावी अवसरों और आदेश समापन अभियोजन साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई थी। **CRM-M-30174-2011 में जिसका शीर्षक दीपिका लाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में फैसला 22.02.2018** को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन को खारिज करने का निर्णय लिया गया। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत उस शक्ति को बरकरार रखा गया था। अभियोजन साक्ष्य को बंद करने के आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकी। उपर्युक्त मामलों में टिप्पणियों को उसके विशेष तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए और इसे इस दृष्टिकोण के लिए उदाहरण के रूप में नहीं माना जा सकता है कि "न्यायालय सीआरपीसी की धारा 311 के तहत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है क्योंकि यह समान होगा।" अभियोजन साक्ष्य को बंद करने के आदेश की समीक्षा करना जो स्वीकार्य नहीं है"। ऐसा कोई भी दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में गिनाए गए कानून के अनुरूप नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और ऊपर चर्चा की गई कानून की स्थापित स्थिति, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों में की गई टिप्पणियाँ लागू नहीं होती हैं और याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं करती हैं।

(54) उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि आक्षेपित आदेश किसी अवैधता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है और प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होने के कारण सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय के अंत के लिए रद्द किये जाने योग्य नहीं है।.

(55) यहां यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में आरोपियों द्वारा कथित रूप से निष्पादित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत दायर रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई थीं। यह विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत के लिए अनिवार्य था। सीआरपीसी की धारा 294 के मद्देनजर मुकदमे की शुरुआत में आरोपी को उसकी वास्तविकता को स्वीकार करने या डी करने के लिए बुलाना। जो इस प्रकार है:

"294. कुछ दस्तावेज़ों का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं।-

(1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज़ दायर किया जाता है, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ का विवरण एक सूची में शामिल किया जाएगा और अभियोजन या अभियुक्त, जैसा भी मामला हो, या अभियोजन के लिए वकील या अभियुक्त को, यदि कोई हो, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा।

(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्रारूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(3) जहां किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता विवादित नहीं है, ऐसे दस्तावेज़ को इस संहिता के तहत पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के सबूत के बिना पढ़ा जा सकता है जिसके हस्ताक्षर होने का तात्पर्य है:

बशर्ते कि न्यायालय, अपने विवेक से, ऐसे हस्ताक्षर को साबित करने की आवश्यकता कर सकता है।" हालांकि, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत ऐसा करने में विफल रहे । इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत कर्तव्यबद्ध है और अब तदनुसार पीडब्ल्यू–1 एम.के. गोयल द्वारा मूल रिकॉर्ड के प्रस्तुत के समय आरोपी को बुलाने का निर्देश दिया गया है। सीआरपीसी की धारा 313(1)(ए) के तहत उनके बयानों द्वारा उनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के विशिष्ट संदर्भ के साथ उसकी वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा और अभियुक्तों द्वारा इसकी वास्तविकता से इनकार करने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष एफ.एस.एल., मधुबन से उनके मानक हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की तुलना करके इसकी वास्तविकता साबित करने का हकदार होगा।

(56) तदनुसार, वर्तमान याचिका, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, ऊपर उल्लिखित निर्देशों के साथ लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

(57) इस आदेश की एक प्रति पंजाब और हरियाणा राज्यों और यू.टी. के सभी न्यायिक अधिकारियों को परिचालित की जाए। मार्गदर्शन के लिए चंडीगढ़ और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में "गवाहों की उपस्थिति और अदालती प्रक्रिया के निष्पादन के लिए बाध्य करना" विषय पर विशेष ध्यान देने के साथ उचित सामग्री को शामिल करने के लिए निदेशक (शिक्षाविद), चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी को भी भेजा जाएगा। यदि आवश्यक हो तो माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद।

शुब्रीत कौर

अस्वीकरण:– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रामदिया